अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६ )

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या<br>कीस तारीख<br>१ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>२ | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित<br>३ |
|---|---|---|

## न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

**भूमि विवाद अपील संख्याः 265/2012**

सुबेदार यादव एवं अन्य —— अपीलकर्त्ता

बनाम

नथिया देवी एवं अन्य —— विपक्षी

## –:: आदेश ::–

07.11.2014

यह भूमि विवाद अपील अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–41/2012 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया।

3. अपीलकर्त्ता का अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन संक्षेप में है कि विवादित भूमि मौजा विशनपुर, थाना–बिहरा, अंचल–सत्तरकटैया, जिला–सहरसा में स्थित है, जिसका ब्यौरा निम्न है :–

| खाता | खेसरा | रकवा | | |
|---|---|---|---|---|
| | | बीघा | कट्ठा | धूर |
| 204 | 1259 (पुराना)<br>2961 (नया) | 0 | 18 | 0 |
| | 1261 (पुराना)<br>2968 (नया) | 0 | 02 | 12 |
| | 1258 (पुराना)<br>2960 (नया) | 0 | 13 | 10 |
| 97 | 1754 (पुराना) | 0 | 10 | 10 |

अपीलार्थी के अनुसार जुआलाल मंडल को एक पुत्र रसिक लाल मंडल हुआ। रसिक लाल मंडल के तीन पुत्र क्रमशः रामोतार यादव, सुबेदार यादव, तेज नारायण यादव हुए। रामोतार यादव की मृत्यु अविवाहित एवं निःसंतान रहते हुए हो गयी। सुबेदार यादव एवं तेज नारायण यादव का दखल–कब्जा में उनके दादा एवं पिता के समय से चला आ रहा है। सुबेदार यादव एवं तेज नारायण यादव के नाम से जो जमीन खरीदगी थी, उस पर रामोतार यादव की मृत्यु के पश्चात् सुबेदार यादव एवं तेज नारायण यादव

दखलकार हुए। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि महावीर यादव अपने पुत्र रामोतार यादव को छोड कर मर गये। रामोतार यादव की पत्नी नथिया देवी एवं पुत्र सुभाष यादव है, जो विपक्षी संख्या–01 एवं 02 है। इस तरह मौजा विशनपुर, थाना–बिहरा, अंचल–सत्तरकटैया, जिला–सहरसा में दो रामोतार यादव है। एक रसिक लाल यादव का लड़का रामोतार यादव, जो अविवाहित/निःसंतान मर चुके है, जिनके भाई सुबेदार यादव एवं तेज नारायण यादव है, जो अपीलकर्त्ता संख्या–01 एवं 02 है। दूसरा व्यक्ति, रामोतार यादव महावीर यादव के लड़का थे, जो मर चुके है। इसी रामोतार यादव की पत्नी नथिया देवी एवं पुत्र सुभाष यादव है, जो विपक्षी संख्या–01 एवं 02 है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि इसकी पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत केवाला दिनांक 03.11.1994 से होती है, जिसमें रामोतार यादव, सुबेदार यादव, तेज नारायण यादव, पिता–रसिक लाल यादव है। दूसरे दाखिल केवाला में रामोतार यादव, पिता–महावीर यादव है एवं विक्रेता लोकिया देवी, पति–रसिक लाल यादव है। रसिक लाल यादव एवं महावीर यादव दोनों जीवित थे, जिस समय लोकिया देवी ने रामोतार यादव को जमीन लिखा था। इस तरह नथिया देवी, पति–रामोतार यादव, रसिक लाल यादव के खानदान के नहीं है। अपीलार्थी निम्न न्यायालय में आवेदन में स्पष्ट किये हैं कि विपक्षी के खेसरा संख्या–1724 की भूमि केवाला से प्राप्त है, जिससे उनको कोई मतलब नहीं है। विपक्षी विकलांग समझ कर तंग–तबाह कर रहे है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विवादित भूमि खाता–204, खेसरा पुराना–1259, 1261, 1258 जितेन्द्र झा की थी। सावित्री देवी, पति–राजेन्द्र यादव साकिन–गंगजला रामोतार यादव, सुबेदार यादव, तेज नारायण यादव सभी पिता–रसिक लाल यादव को दिनांक 04.11.1994 को बिक्री किया था। इसमें सावित्री देवी को दक्षिण से एवं रामोतार यादव, सुबेदार यादव, तेज नारायण यादव को उत्तर से हिस्सा मिला। खाता–97 खेसरा पुराना 1754 रकवा 10 कट्ठा, 10 धूर जमीन सुमरित मंडल, पिता–गेना मंडल एवं परमेश्वर मंडल, पिता–तनुक मंडल ने अपीलकर्त्ता के पिता–रसिक लाल मंडल को अन्य जमीन के साथ बिक्री किया एवं दखल–कब्जा दिया। इसके अतिरिक्त लोकिया देवी, पति–रसिक लाल मंडल ने रामोतार यादव, पिता–महावीर यादव को खेसरा संख्या–1724 बिक्री किया था ना कि खेसरा संख्या–1754। इस तरह पति के जीवित रहते पत्नी को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि नथिया देवी, पति–रामोतार यादव द्वारा जो जमीन सावित्री देवी से खरीदी गयी थी, उसमें नथिया देवी का हिस्सा दक्षिण से और रामोतार यादव, सुबेदार यादव एवं तेज नारायण यादव का हिस्सा उत्तर से है। विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर बल दिया कि विपक्षी नथिया देवी, पति–रामोतार यादव, रसिक लाल यादव के खानदान के है बल्कि महावीर यादव के खानदान के है। निम्न न्यायालय के द्वारा इन तथ्यों को अनदेखी कर गलत आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त करने योग्य है। वस्तुतः यह वाद जिलाधिकारी, सहरसा के जनता दरबार में प्राप्त आवेदन के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा लाया गया है।

4. विपक्षी का अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन संक्षेप में है कि सुभाष यादव, वाद संख्या–41/2012 में पक्षकार नहीं थे, परन्तु इस अपीलवाद में विपक्षी संख्या–02 में सुभाष यादव को पक्षकार बनाया गया है, जो विधि के विरूद्ध है। अपीलकर्त्ता का दावा गलत एवं आधारहीन है। लोकिया देवी का विवाह महावीर यादव से धोधनपट्टी, थाना–सौरबाजार, जिला–सहरसा में हुई। लोकिया देवी को महावीर यादव से एक लड़का रामोतार यादव एवं एक लड़की त्रिफूल देवी हुई। कालान्तर में महावीर यादव की मृत्यु हो गयी एवं लोकिया देवी अपने बच्चे के साथ अपने नैहर विशनपुर, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा चली आयी। आगे चलकर लोकिया देवी का विवाह रसिक लाल यादव से हुई, जिससे लोकिया देवी को दो लड़का सुबेदार यादव एवं तेज नारायण यादव हुआ तथा लोकिया देवी के पूर्व पति महावीर यादव से उत्पन्न पुत्र एवं पुत्री क्रमशः रामोतार यादव एवं त्रिफूल देवी हुई। लोकिया देवी के इसी पुत्र रामोतार यादव से नथिया देवी (विपक्षी संख्या–01) की शादी हुई। नथिया देवी के पति रामोतार यादव वस्तुतः अपीलकर्त्तागण सुबेदार यादव एवं तेज नारायण यादव के सहोदर भाई थे।

इस तरह तीनों लोकिया देवी के पुत्र थे एवं अपने पहले पति महावीर यादव की मृत्यु के उपरांत लोकिया देवी ने जब रसिक लाल यादव से शादी कर ली तो रामोतार यादव भी अपनी माँ लोकिया देवी एवं बहन त्रिफूल देवी के साथ रसिक लाल यादव के घर आ गये एवं अपने जीवन भर वही रहे। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि खाता–97 पुराना खेसरा–1754 रकवा 10 कट्ठा, 10 धूर जमीन लोकिया देवी ने अपने प्रथम पुत्र रामोतार यादव को निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या–4219 दिनांक 12.02.1974 द्वारा अन्य 05 कट्ठा जमीन के साथ बिक्री कर दी, जिसमें गलती से खेसरा 1754 के बदले 1724 दर्ज हो गया। सही खेसरा 1754 है, जो केवाला से स्पष्ट है। इस जमीन के निश्चत जमाबंदी संख्या–1212/1624 कायम हुआ तथा लगान रसीद निर्गत हो रहा है। यह केवाला रसिक लाल यादव की मृत्यु हो जाने के बाद मो0 लोकिया देवी द्वारा रामोतार यादव को तहरीर एवं तामिल किया। अपीलकर्त्ता का दावा कि तीन भाईयों में रामोतार यादव निःसंतान मर गये गलत एवं आधारहीन है। वास्तव में रामोतार यादव, पिता–महावीर यादव, माता–लोकिया देवी ही अपीलकर्त्तागण के तीसरे भाई थे, जो नावल्द नहीं बल्कि पुत्रवान है। इसी रामोतार यादव की पत्नी नथिया देवी विपक्षी संख्या–01 है, जिसके पति का नाम अपील आवेदन में स्वर्गीय रामोतार यादव एवं पुत्र सुभाष यादव (विपक्षी संख्या–02), पिता–स्व0 रामोतार यादव दिया गया है। इस तरह अपीलकर्त्ता के सहोदर (एक ही माँ से उत्पन्न) भाई रामोतार यादव की पत्नी नथिया देवी विपक्षी संख्या–01 है तथा अपीलकर्त्तागण के भाई रामोतार यादव का पुत्र विपक्षी संख्या–02 हैं। निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2012 के पृष्ठ संख्या 03 के पहली पंक्ति एवं पृष्ठ संख्या–04 के 15वी पंक्ति में गलती से मरोमात नथिया देवी के बाद "के पति रामोतार यादव" टाइप होना छूट गया है। नथिया देवी अपीलकर्त्ता की भाभी है बहन नहीं। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि जितेन्द्र झा, लक्ष्मण झा एवं अमरेन्द्र झा, पिता–स्व0 राजेश्वर झा एवं शिवेन्द्र झा, पिता–सुरेन्द्र झा को पैसे की जरूरत हुई तो सावित्री देवी, पति–राजेन्द्र यादव, रामोतार यादव, सुबेदार यादव वो तेज नारायण यादव, पिता–स्व0 रसिक लाल यादव को विधिवत् केवाला दस्तावेज दिनांक 02.11.1994 को लिखा एवं खरीदार का दखल–कब्जा हुआ एवं जमाबंदी कायम हुआ। इस तरह सावित्री देवी दखलकार हुई। सावित्री देवी जरूरतमंद होने पर दिनांक 15.12.2009 को नथिया देवी (विपक्षी संख्या–01) दखलकार हुई एवं उनका शांतिपूर्वक दखल–कब्जा है, जिस पर जमाबंदी संख्या–1637 कायम है एवं लगान रसीद निर्गत हो रहा है। नथिया देवी द्वारा जरूरतमंद होने पर दिनांक 16.12.2009 को श्रीमती रोताईन देवी, पति–चन्देश्वरी यादव को केवाला द्वारा जमीन बिक्री की गयी एवं जमाबंदी संख्या 1638 कायम हुआ। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता द्वारा जान–बुझ कर विपक्षी को तंग करने एवं जमीन हड़पने की नीयत से झूठे तथ्य पर आधारित मुकदमा दाखिल किये है, जो खारिज किया जाय। निम्न न्यायालय का आदेश सही है।

5. निम्न न्यायालय का अभिलेख, वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, अपील आवेदन, अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 06.11.2014 तथा विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 23.08.2014 का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा बहस के दौरान रखे गये तथ्यों पर गौर किया। अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी निबंधित दस्तावेज के आधार पर विवादित जमीन पर दावा/प्रतिदावा करते है। एक ओर अपीलकर्त्ता का मुख्य दावा है कि विवादित जमीन उनकी और उनके खानदान की है। अपीलकर्त्ता संख्या–01 एवं 02 के भाई रामोतार यादव अविवाहित निःसंतान मर गये, जिससे वे अपने भाई रामोतार यादव एवं दादा जुआलाल मंडल तथा रसिक लाल मंडल के जमीन के दखलकार हुए। नथिया देवी (विपक्षी संख्या–01) एवं उनका पुत्र सुभाष यादव (विपक्षी संख्या–02) महावीर यादव के खानदान के है, जिसके एक पुत्र रामोतार यादव हुए, जिनकी पत्नी नथिया देवी एवं पुत्र सुभाष यादव है। इस तरह अपीलकर्त्ता के भाई रामोतार यादव एवं विपक्षी संख्या–01 के पति रामोतार यादव दोनों दो व्यक्ति है। अपीलकर्त्ता द्वारा इसकी पुष्टि के लिए केवाला दस्तावेज दिनांक 02.11.1994 एवं लोकिया देवी द्वारा रामोतार यादव पिता–महावीर यादव को लिखे गये केवाला की छायाप्रति दाखिल की है। वही विपक्षी का दावा है कि लोकिया देवी की शादी महावीर

यादव से हुई, जिससे एक लड़का रामोतार यादव एवं एक लड़की त्रिफूल देवी हुई। बाद में महावीर यादव की मृत्यु हो गयी एवं लोकिया देवी अपने बच्चों के साथ नैहर विशनपुर चली आयी। बाद में लोकिया देवी की शादी रसिक लाल यादव से हुई, जिससे दो लड़का सुबेदार यादव एवं तेज नारायण यादव हुये। लोकिया देवी के पूर्व पति महावीर यादव से उत्पन्न रामोतार यादव से नथिया देवी (विपक्षी संख्या–01) की शादी हुई, जिससे एक लड़का सुभाष यादव (विपक्षी संख्या–02) हुआ। अतः रामोतार यादव अपीलकर्त्ता सुबेदार यादव एवं तेज नारायण यादव के सहोदर भाई थे।

इस तरह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों द्वारा विवादित जमीन उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दावा किया गया है। विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के आदेश दिनांक 04.07.2012 के अवलोकन से विदित होता है कि उनके द्वारा पाया गया है कि अपीलकर्त्ता संख्या–01 सुबेदार यादव एवं विपक्षी संख्या–01 नथिया देवी उनकी भागी एक ही खानदान के है एवं उसी आलोक में सुबेदार यादव (अपीलकर्त्ता) के अपील को खारिज किया गया, जबकि अपीलकर्त्ता का दावा है कि विपक्षी संख्या–01 से जिस रामोतार यादव की शादी हुई, वे दूसरे व्यक्ति है, जो महावीर यादव के खानदान से आते है। वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के गहन परिशीलन उपरान्त परिलक्षित होता है कि विवादित जमीन पर अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी का दावा/प्रतिदावा किया गया है, परन्तु मुख्य बिन्दु विवादित जमीन के दावा से संबंधित रामोतार यादव एक है या दो व्यक्ति है, स्पष्ट हो पाया है। मेरे विचार से यह मामला स्वत्व से संबंधित है, जिसका निराकरण यह राजस्व न्यायालय से संभव नहीं है। यह सक्षम न्यायालय/व्यवहार न्यायालय से सम्भव है। अंत में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहतम नहीं हूँ।

वर्णित स्थिति में निम्न न्यायालय में पारित आदेश को बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है तथा अपीलार्थी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। पूर्व के कायम जमाबंदी एवं निर्गत राजस्व रसीद एवं कब्जा के आधार पर अपीलार्थी को अंचल अधिकारी भूमि पर शांति बनाये रखने में स्थानीय थाना के सहयोग से मदद करेगें। यदि विपक्षी को सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद दायर करने की ईच्छा हो तो वे विधिवत् दायर सकते हैं।

इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाय।

मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

7.11.14
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा